



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 496]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 23, 2009/चैत्र 2, 1931

No. 496]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 23, 2009/CHAITRA 2, 1931

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2009

New Delhi, the 17th March, 2009

का.आ. 800(अ).— दिनांक 23 अगस्त, 2007 की अधिसूचना सं. का.आ.1519(अ) को 30-9-2009 तक अथवा खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जी एम संसाधित खाद्यों के विनियम के संबंध में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अगली अधिसूचना जारी किए जाने तक, जो पहले हो स्थगित किया जाता है।

S.O. 800(E).— Notification No. S.O. 1519(E) dated 23-8-2007 is kept in abeyance till 30-09-2009 or until issue of further notification by the Ministry of Health and Family Welfare regarding regulation of GM processed foods by the Food Safety and Standards Authority, whichever is earlier.

[फा. सं. 13/16/2007-सीएस-III]

[F.No. 13/16/2007-CS-III]

ए. के. गोयल, संयुक्त सचिव

A. K. GOYAL, Jt. Secy.

टिप्पणी: परिसंकटमय सूक्ष्मजीवों/आनुवंशिक निर्मित जीवों या कोशिकाओं के विनिर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात, और भण्डारण नियमावली, 1989 को दिनांक 5 दिसम्बर, 1989 की सं. सा.का.नि.1037 (अ) जो दिनांक 13 सितम्बर, 1993 की सं. का.आ. 677(अ) की अधिसूचना के तहत अस्तित्व में आई और बाद में दिनांक 14 जुलाई, 2005 की सं. सा.का.नि. 493(अ), और दिनांक 20 सितम्बर, 2006 की सं. सा.का.नि. 616(अ), दिनांक 23 अगस्त, 2007 की सं. का.आ. 1519(अ), सं. का.आ. 411(अ), दिनांक 25-2-2008 और सं. का.आ. 2519(अ), दिनांक 3-10-2008 की अधिसूचनाओं के तहत इसमें संशोधन किया गया।

Note: The Manufacture, Use, Import, Export and Storage of Hazardous micro-organisms/Genetically engineered organisms or Cells Rules, 1989 were published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 1037 (E), dated the 5th December, 1989, which came into force vide notification number S.O. 677 (E), dated the 13th September, 1993 and subsequently were amended vide notification numbers G.S.R. 493(E), dated the 14 July, 2005, No. G.S.R. 616(E), dated the 20th September, 2006, S.O. 1519 (E) dated 23-8-2007, S.O. 411 (E), dated 25-02-2008 and S.O. 2519 (E) dated 3-10-2008.